

न्यायालय सहायक कलक्टर (SDO), भीण्डर जिला उदयपुर

पीठारसीन अधिकारी : श्री रमेश चन्द्र बहेडिया R.A.S

राजस्व वाद संख्या : 54/25 (प्रा.पत्र)

GCMS No: 2025/169

अनवान

1. श्री चुन्नीलाल पिता प्याराजी सुथार निवासी धारता तहसील कानोड जिला उदयपुर राज।
2. श्री नारायणलाल पिता भगवान जी सुथार निवासी धारता तहसील कानोड जिला उदयपुर राज।

..... प्रार्थी

बनाम

1. श्री कन्ना पुत्र हमेरा जी मीणा निवासी धारता तहसील कानोड जिला उदयपुर राज।
2. श्रीमती उदी पुत्री हमेरा जी मीणा निवासी धारता हाल मुकाम सूरतपुरा तहसील कानोड जिला उदयपुर राज।
3. श्रीमती नारु पुत्री हमेरा जी मीणा निवासी धारता हाल मुकाम सूरतपुरा तहसील कानोड जिला उदयपुर राज।
4. श्रीमती प्यारी बाई पुत्री हमेरा जी मीणा निवासी धारता हाल मुकाम मोरवण तहसील डूंगला जिला चित्तोडगढ राज।
5. श्रीमती खेमी बाई पत्नी हमेरा जी मीणा निवासी धारता तहसील कानोड जिला उदयपुर राज।
6. श्रीमती गेंदी बाई पत्नी रूपाजी मीण निवासी धारता तहसील कानोड जिला उदयपुर राज।
7. श्री बगता पुत्र रूपाजी मीणा निवासी धारता तहसील कानोड जिला उदयपुर राज।
8. श्री राज्य सरकार जरिये तहसीलदार कानोड जिला उदयपुर राज।

..... विपक्षीगण

उपस्थित-1. श्री लक्ष्मण गिरी गोस्वामी, अधिवक्ता प्रार्थी।

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251(ए) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

—: निर्णय :—

दिनांक 09.10.2025

1. प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251(ए) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत प्रस्तुत कर निवेदन किया कि मौजा धारता, पटवार हल्का धारता, भू-अभिलेख निरीक्षक सालेडा, तहसील कानोड जिला उदयपुर राज. में प्रार्थीगण एवं उनके परिवार के खातेदारी आराजी नम्बर 823, 824, 825, 826, 827, 828, 829, 830, 831, 853, 854, 855, 858, 859, 860, 861, 862, 863, किता 18 रकबा 1.9600 हैक्टेयर स्थित हैं जिस पर प्रार्थीगण एवं उनके पूर्वाधिकारी सदीप से काश्त करते चले आ रहे हैं।
2. यह कि मौजा धारता, पटवार हल्का धारता, भू-अभिलेख निरीक्षक सालेडा, तहसील कानोड जिला उदयपुर राज. में खसरा नम्बर 864, 865, 866, 867, 868, 870, 871, किता 8 रकबा 3.2500 हैक्टेयर स्थित हैं जो विपक्षीगणों के नाम राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज है। उक्त भूमि में से आराजी खसरा नम्बर 864 वादग्रस्त भूमि हैं। यह कि

प्रार्थीगण की आराजीयात की भूमि में पहुँचने के लिये विपक्षी की आराजी नं. 864 के उत्तर दिशा में 20 फीट चौड़ा रास्ता अवस्थित है जिससे होते हुए प्रार्थीगण कलम नम्बर 1 में वर्णित प्रार्थीगण की आराजीयात में पहुँचते हैं, उक्त 20 फीट चौड़े रास्ते से प्रार्थीगण अपने पूर्वाधिकारियों के समय से आते जाते चले आ रहे हैं तथा उक्त रास्ते का उपयोग उपभोग प्रार्थीगण रादीप से अपने बाप-दादाओं के समय से करते चले आ रहे हैं तथा प्रार्थीगण इसी एक मात्र रास्ते से होकर अपनी आराजीयात में आते जाते चले आ रहे हैं। उक्त रास्ते के अलावा प्रार्थीगणों की भूमि में पहुँचने का अन्य कोई रास्ता नहीं है।

3. यह कि प्रार्थीगणों कि खातेदारी कृषि भूमि जो कलम नम्बर 1 में अवस्थित हैं उस पर जाने का रास्ता कलम नम्बर 2 में वर्णित आराजीयात में से आराजी खसरा नम्बर 864 के उत्तरी दिशा में उसी भूमि के हिस्से का एक अलग से रास्ता स्थित है परन्तु उक्त भूमि का प्रार्थीगण रास्ते के रूप में उपयोग उपभोग करते चले आ रहे हैं किन्तु उक्त रास्ते की भूमि के हिस्से का राजस्व रेकॉर्ड में कोई नम्बर अंकित नहीं होने एवं राजस्व रेकॉर्ड में रास्ते के रूप में अंकन नहीं होने से हम प्रार्थीगणों को विपक्षीगण केवजह परेशान करते एवं उनको आने जाने में बाधा उत्पन्न कर रहे हैं, तथा विपक्षीगणों द्वारा उक्त रास्ते की भूमि में जेसीबी मशीन से खड्डे खोद कर भराव डाल कर रास्ता अवरुद्ध कर दिया जिससे हमारा आना जाना बाधित हो गया है, जबकि उक्त रास्ते की ताईद आराजी खसरा नम्बर 864 के साविक आराजी खसरा नम्बर 338 किता 1 रकबा 6 बीघा 5 बिस्वा के साविक नक्शा ट्रेस एवं साविक सेटलमेंट के नक्शा ट्रेस से होती है।
4. यह कि कलम नम्बर 2 में वर्णित आराजीयात में से आराजी नम्बर 864 के उत्तरी दिशा में उसी भूमि के हिस्से का एक अलग से करीब 20 फीट चौड़ा रास्ता स्थित है परन्तु उक्त रास्ते की भूमि के हिस्से का राजस्व रेकॉर्ड में कोई नम्बर अंकित नहीं होने एवं राजस्व रेकॉर्ड में रास्ते के रूप में अंकन नहीं होने से विपक्षीगण विवाद कर रहे हैं तथा जेसीबी मशीन से खड्डे खोद कर भराव डाल कर रास्ता अवरुद्ध कर दिया समझाने पर भी नहीं मान रहे हैं। उक्त रास्ते का अंकन राजस्व रेकॉर्ड में करवाने बाबत प्रार्थीगण माननीय न्यायालय के आदेश की पालना में शुल्क जमा कराने को तैयार हैं। इसलिये प्रार्थीगण की भूमि जाने हेतु उक्त रास्ते को राजस्व रेकॉर्ड में अंकित करायें जाने हेतु उक्त प्रार्थना पत्र माननीय न्यायालय आप में सुदृढ आधारों पर प्रस्तुत किया जा रहा है। अतः प्रार्थी द्वारा अपनी खातेदारी भूमि में आने-जाने हेतु विपक्षी की आराजी संख्या 864 में से 20 फिट चौड़ा रास्ता कायम किये जाने का निवेदन किया।
5. प्रकरण विपक्षी संख्या 1 से 7 के अनुपस्थित रहने पर इनके विरुद्ध एकतरफा कार्यवाही के आदेश दिये जाने के बाद अधिवक्ता वादी की एकतरफा बहस सुनकर दिनांक 05.07.2022 को प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया गया। उक्त आदेश से रूष्ट होकर विपक्षी

- संख्या 7 द्वारा माननीय अपीलीय न्यायालय भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी के समक्ष अपील प्रस्तुत की गई जिसमें माननीय न्यायालय भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी द्वारा इस न्यायालय के प्रकरण संख्या 16/22 में पारित निर्णय दिनांक 05.07.2022 को अपास्त किया गया तथा पत्रावली इन निर्देशों के साथ प्रतिप्रेषित की गई कि अपीलान्त/ विपक्षी संख्या 7 को सुनवाई व साक्ष्य समूह प्रस्तुत करने का पूर्ण अवसर देकर धारा 251क राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के प्रावधानों का ध्यान में रखते हुये पुनः नये सिरे से निर्णय पारित करने के निर्देश दिये गये साथ ही पक्षकारान को अधिनस्थ न्यायालय में दिनांक 16.06.2025 को उपस्थित रहने के निर्देश दिये गये। माननीय न्यायालय भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी के आदेश की पालना में पत्रावली दर्ज रजिस्टर की गई। दिनांक 16.06.2025 को प्रार्थीगण उपस्थित रहे तथा विपक्षी संख्या 7/अपीलान्त अनुपस्थित रहे। माननीय न्यायालय द्वारा पक्षकारान को अधिनस्थ न्यायालय में उपस्थित रहने के निर्देश दिये जाने से पृथक से सूचना जारी नहीं की गई। विपक्षी संख्या 7/अपीलान्त आगामी पेशी दिनांक 29.07.2025, 12.08.2025 व 09.10.2025 को भी अनुपस्थित रहे जिससे विपक्षी संख्या 7 के विरुद्ध एकतरफा कार्यवाही के आदेश दिये गये। शेष विपक्षी के विरुद्ध पुर्व से ही एकतरफा कार्यवाही के आदेश जारी है। प्रकरण में अधिवक्ता प्रार्थी की एकतरफा बहस सुनी। प्रार्थी अधिवक्ता द्वारा अपनी बहस में प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराया तथा प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाने का निवेदन किया।
6. हमने पत्रावली का अवलोकन किया। दस्तावेजात का अध्ययन किया। अधिवक्ता प्रार्थी की बहस पर मनन किया। हमने पाया कि प्रार्थीगण द्वारा एक प्रार्थना पत्र 251 क राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत प्रस्तुत कर प्रार्थीगण की खातेदारी आराजी न. 823, 824, 825, 826, 827, 828, 829, 830, 831, 853, 854, 855, 858, 859, 860, 861, 862, 863, किता 18 रकबा 1.9600 हैक्टेयर भूमि में आने जाने हेतु विपक्षीगण की आराजी न. 864 में से 20 फिट चौड़ा रास्ता कायम किये जाने का निवेदन किया। प्रकरण में न्याय निर्णयन हेतु तहसीलदार कानोड से प्राप्त रिपोर्ट का अवलोकन किया। जिसमें तहसीलदार कानोड द्वारा बताया कि ग्राम धारता, तहसील कानोड की आराजी नम्बर 823, 824, 825, 826, 827, 828, 829, 830, 831, 853, 854, 855, 858, 859, 860, 861, 862, 863, किता 18 रकबा 1.9600 हैक्टेयर भूमि राजस्व रेकार्ड अनुसार चुन्नीलाल पुत्र प्यारा 1/8, नारायण पुत्र भगवान 1/4, गिरिजा पुत्री किशनलाल 1/60, घनश्याम पुत्र मोहन 1/20, दुर्गा पुत्री मोहन 1/20 दाखीबाई पत्नि भगवान 1/8, धापूबाई पत्नि स्व. मोहन 1/20, निरमा पुत्री मोहन 1/20, प्यारा पुत्र शंकर 1/4, विनीता पुत्री किशनलाल 1/60, सुमित्रा पत्नि स्व. किशनलाल 1/60, जाति सुथार सा. देह के नाम दर्ज है जो प्रार्थीगण की सामलाती कृषि भूमि है जिस पर आने

जाने हेतु रास्ता ग्राम धारता से भीलों की भागल जाने वाली ग्रामीण सड़क से आगे आराजी नं 864 में अवस्थित है। इसी रास्ते का उपयोग प्रार्थीगण वर्षों से करते आ रहे हैं। यह कि ग्राम धारता की आराजी नं 864 रकबा 0.28 हैक्टेयर किरम चाही द्वितीय लगान 7.28 रु. राजस्व रिकॉर्ड अनुसार श्री कना पुत्र हमेरा 2/15, उदी पुत्री हमेरा 2/15, नारू पुत्र हमेरा 2/15, प्यारी पुत्री हमेरा 2/15 रहन एसबीआई भीण्डर सभी, मेन्दी पत्नि रूपा 1/6, वगता पुत्र रूपा 1/6 रहन एसबीआई हिन्ता सभी जाति मीणा सा. देह के नाम खातेदारी हक दर्ज रिकॉर्ड है जो विपक्षीगण की शामिली कृषि भूमि है। मौके पर रास्ते के निशानत भी कायम होकर मौजूद है, यही प्रस्तावित रास्ता है। तहसीलदार कानोड द्वारा उक्त प्रस्तावित रास्ता ही प्रार्थीगणों को अपनी जोत या खेत पर पहुंचाने का यह एक मात्र रास्ता बताया, इसके अलावा और कोई रास्ता नहीं है और न ही राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज होना बताया। यही एकमात्र विकल्प है। प्रार्थीगण को अपने खेत या जोत पर जाने का सबसे निकटतम रास्ता है। यह कि यह रास्ता सुविधा के लिये नहीं है इसकी प्रार्थीगणों को अत्यन्त आवश्यकता है। तहसीलदार कानोड द्वारा प्रस्तावित रास्ते की चौड़ाई 20 फीट यांनी 6 मीटर एवं लम्बाई 77 मीटर है, जिसका क्षेत्रफल 462 वर्गमीटर बताई साथ ही बताया कि प्रस्तावित रास्ते की 462 वर्गमीटर भूमि रिकॉर्ड अनुसार संचित होकर आवादी भूमि से दूर एवं सड़क के पास स्थित है।

7. अतः उपरोक्त विवेचन एवं बिन्दुवार निष्कर्ष के आधार पर प्रार्थी अपनी भूमि मौजा धारता, पटवार हल्का धारता, भू-अभिलेख निरीक्षक सालेडा, तहसील कानोड जिला उदयपुर राज. में प्रार्थीगण एवं उनके परिवार के खातेदारी आराजी नम्बर 823, 824, 825, 826, 827, 828, 829, 830, 831, 853, 854, 855, 858, 859, 860, 861, 862, 863, कित्ता 18 रकबा 1.9600 हैक्टेयर में आने जाने हेतु विपक्षीगण की भूमि आराजी नम्बर 864 रकबा 0.28 हेक्टेयर में से होकर रास्ता चाह रहे हैं। जो पूर्व में सदीप से ही चला आ रहा हैं जो प्रार्थी की खातेदारी भूमि तक जाता हैं। विपक्षीगण की आराजी में से प्रस्तावित 20 फीट चौड़ाई का रास्ता चाहा गया हैं। तहसीलदार कानोड द्वारा अपनी रिपोर्ट में 20 फीट चौड़ाई का आराजी नम्बर 864 में से 462 वर्गमीटर रास्ते हेतु प्रस्तावित किया हैं तथा प्रस्तावित नक्शा ट्रेस प्रस्तुत किया है। इसके अतिरिक्त प्रार्थी के आने जाने के लिए अन्य कोई रास्ता नहीं होना बताया है। उक्त प्रस्तावित रास्ता न्यूनतम दूरी वाला रास्ता बताया है तथा उक्त रास्ते की अत्यान्तिक आवश्यकता बताई है। अतः प्रार्थीगण की प्रार्थनाग्रस्त आराजीयात पर पहुंचने के लिये अन्य कोई वैकल्पिक रास्ता उपलब्ध नहीं होने व प्रस्तावित रास्ता न्युन्तम दुरी वाला रास्ता होने से सशुल्क रास्ता उपलब्ध कराया जाना न्यायहित में आवश्यक है। इस प्रकार डी.एल.सी. दर की दुगुनी राशि पर सशुल्क रास्ता दिया जाना उचित हैं। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 (क) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का स्वीकार योग्य पाया जाता हैं।

—: : आदेश : :—

परिणामस्वरूप प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 (क) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का स्वीकार किया जाता है कि मौजा धारता, पटवार हल्का धारता, भू-अभिलेख निरीक्षक सालेडा, तहसील कानोड जिला उदयपुर राज. में प्रार्थीगण एवं उनके परिवार के खातेदारी आराजी नम्बर 823, 824, 825, 826, 827, 828, 829, 830, 831, 853, 854, 855, 858, 859, 860, 861, 862, 863, कित्ता 18 रकबा 1.9600 हैक्टेयर में आने जाने हेतु विपक्षीगण की आराजी नम्बर 864 रकबा 0.28 हैक्टेयर में से 462 वर्गमीटर (77मी. x 6मी.) (ल. x चौ.) भूमि संलग्न राजस्व नक्शा ट्रेस अनुसार प्रार्थीगण की खातेदारी आराजीयात तक कायम किया जावें। इस प्रकार रास्तों में आने वाली भूमि की निर्णय दिनांक 09.10.2025 अनुसार डीएलसी दर गणना कर प्रस्तावित रास्ता 462 वर्गमीटर भूमि का दोगुना प्रतिकर राशि प्रार्थी से वसूल कर खातेदार विपक्षी सं. 1 से 7 को क्षतिपूर्ति के रूप में दिलाई जावें। उक्त राशि विपक्षी सं. 1 से 7 हिस्से अनुसार अदा करने के पश्चात् इस भूमि को राजस्व रेकार्ड में विलानाम गैर मुमकिन रास्ता दर्ज किया जावें। इस रास्तों पर प्रार्थी का कोई खातेदारी अधिकार नहीं रहेगा, केवल आने जाने हेतु उपयोग कर सकेगा। मौके पर रास्ता कायम कर सार्वजनिक रूप से उपयोग उपभोग हेतु खुला रखा जावें। इसी अनुसार रास्ता कायम कर तरमीम कर पालना पेश करें। पत्रावली फ़ैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।
निर्णय आज दिनांक 09.10.2025 को खुले ईजलास सुनाया गया।

